रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122020-223702
CG-DL-E-14122020-223702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 2020/अग्रहायण 23, 1942
No. 629] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2020/AGRAHAYANA 23, 1942

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 760(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम), साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' तकनीकी पद भर्ती नियम, 1999, जहां तक उनका संबंध आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय में कर्मकार एकक में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदिः-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति–**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

सारणी

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन**	**सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	7*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर -4	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच की आयु तक शिथिल की जा सकती है (भारत सरकार द्वारा)

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति वालों के मामले में लागू होगी**	**परिवीक्षा अवधि यदि कोई है**	**सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हताएं: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य। 2. आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 कुंजी-दबाव की न्यूनतम गति होनी चाहिए।	आयुः नहीं अर्हताः हां	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो जाने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।

वांछनीयः 3. हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कम्प्यूटर की बोर्ड के संचालन की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी **टिप्पण 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना हो	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति (एकक आधार पर): ऐसा निम्न श्रेणी लिपिक जिसने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखता हो।	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:** 1. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण अथवा संबंधित एकक सचिवालय विभागाध्यक्ष, संबंधित एकक सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय – **अध्यक्ष;** 2. संबंधित एकक सचिवालय/महिला प्रशिक्षण/प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के समूह 'क' अधिकारी–**सदस्य;** 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अलावा उसी शहर में कार्यरत समूह 'क' का एक अधिकारी –**सदस्य** 4. प्राचार्य अथवा सहायक निदेशक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय–**सदस्य**	लागू नहीं

[फा.सं. डीजीटी-ए-12017/1/2017-डब्ल्यूटी-पीटी(I)]

नीलम शमी राव, महानिदेशक / अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2020

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'C' – Technical Posts Recruitment Rules 1999, insofar as they relate to the post of Data Entry Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator in the workmen's unit under the Women Training, Directorate General of Training, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training (Women Training), Data Entry Operator, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**- The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualification etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.- No person -**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, economically weaker section, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or Non-selection post.**	**Age limit for direct recruit.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
DATA ENTRY OPERATOR.	07 *(2019) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service Group 'C', non-gazetted, ministerial.	Level-4.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age and (Relaxation as per Government of India rules issues time to time).

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation if any.**	**Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation or Absorption and percentage of the posts to be filled by various method.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential qualifications: (i) 12th Standard Pass or equivalent from a recognized board. (ii) Possess a speed of not less than 8000 key depression per hour for Data Entry work.	Age: No. Qualification: Yes.	Two Years.	Promotion, failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission.

Desirable: Preference will be given to candidate knowing operation of key Board of Computer in Hindi and English both. **Note 1**: The qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.			

In case of recruitment by promotion or deputation absorption grades from which promotion or deputation absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion (Unit Basis): Lower Division Clerks with five years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 7.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:** 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-**Chairperson;** 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/Women Training Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-**Member;** 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-**Member;** 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-**Member.**	Not applicable.

[F.No. DGT-A-12017/1/2017-WT-Pt.(I)]

NEELAM SHAMI RAO, Director General/Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.